न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

जमानत आवेदन सं0 144/2026

जी.बी. नगर थाना कांड सं0–597/2025 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा– 309(4) भारतीय न्याय संहिता
(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

पवन कुमार..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य, द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री विद्या भूषण साह, विद्वान अधिवक्ता, काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

06.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, जी.बी. नगर थाना कांड संख्या 597/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक जितेंद्र यादव के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 27.12.2025 को समय करीब 06:20 बजे संध्या में वह अपने हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन सं0 BR29AF3210, से तरवारा बाजार से दवा खरीद कर अपने घर गंडक नहर के बीच सड़क से जा रहा था, जब गाजी स्थान के आगे जैसे ही पहुँचा कि उसे पीछे से ओवर टेक कर आपाची सवार तीन अपराधियों ने उसे मारकर गिरा दिया और फायर किया। जब सूचक गिर गया तो उसे फैट, मुक्का और लात–घुसा से मारपीट कर घायल कर दिया तथा उसके बाद दो अपराधी आपाची मोटरसाईकिल लेकर उत्तर दिशा के तरफ सलाहपुर की ओर भाग गये और एक अपराधी सूचक की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल लूटकर दक्षिण तरवारा बाजार के तरफ भाग गये। सूचक का स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल जिसका इंजन नम्बर HA10AGJHE66868 तथा चेचिस नम्बर MBLHAR078JHE57324 है। मारपीट के बाद सूचक अपना इलाज सदर अस्पताल सिवान जाकर अपना इलाज कराया।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि काराधीन अभियुक्त आवेदक दिनांक 12.12.2025 से कारा में है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है उसे झूठा मुकद्मा में फंसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकद्मा के अलावे कोई अन्य मुकद्मा दर्ज नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का

लगातार

06.03.2026

नामजद अभियुक्त नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त उत्पाद केस से संबंधित मुकद्मा में जेल गया था, लेकिन उसे इस मुकद्मा में फंसा दिया गया। अभियोजन कहानी पूर्णतयाः झूठा, मनगढ़ंत और निराधार है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से या घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचक का मोटरसाईकिल लूटने का गंभीर अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, जी.बी.नगर थाना कांड संख्या 597/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता, अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा सूचक के साथ मारपीट कर उसकी मोटरसाईकिल लूटने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है लेकिन उसके कथित बयान में उसकी संलिप्तता का साक्ष्य उसके द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है(कांड दैनिकी की कंडिका 35 में वर्णित) तत्पश्चात् उसके कब्जे से लूट की मोटरसाईकिल बरामद हुई थी। अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में तथाकथित घटना का समर्थन किया है। (कांड दैनिकी की कंडिका 02,03,04,05 में वर्णित)। काराधीन आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार दिनांक 12.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए काराधीन आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्आलोक में आवेदक/अभियुक्त पवन कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र को इस सम्प्रेक्षण के साथ अस्वीकृत किया जाता है किंतु आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने/आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् वे जमानत का नवीनकरण कर सकते हैं।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।